धारा 96 : अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण

इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या किसी संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण समझा जाएगा।